ग्राम पंचायत बेहड़ जसवां, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग – एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : **PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण** का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के **दृ**ष्टिगत ग्राम पंचायत बेहड़ जसवां, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 1-04-2014 से 31-03-2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग **द्वारा** किया गया l

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे1

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्रीमती सुनीता देवी	1-04-2014 से 22-01-2016
2	श्री प्रमोद कुमार	23-01-2016 से 31-03-2017

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री पवन कुमार	1-04-2014 से 31-03-2017

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत बेहड़ जसवां के लेखाओं अवधि 1-04-2014 से 31-03-2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है1

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	**4.1**	रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में भारी अन्तर	1.64
2	5	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.39
3	6	अनुदानों का उपयोग न करना	22.93
4	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किया बिना ही निर्माण सामग्री व अन्य मदों का क्रय करना	7.97
5	8	क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियां न करना	7.34
6	9	बिना उचित बिलों के निर्माण सामग्री का क्रय करना	0.53
7	10	मनरेगा के अंतर्गत भुगतान की गई मजदूरी के फण्ड हंस्तान्त्रण आदेश (**FTO)** अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	3.07

भाग – दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत बेहड़ जसवां, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 1-04-2014 से 31-03-2017 के लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार आर्टिकल सहायक **द्वारा** दिनांक 21-11-2017 से 27-11-2017 तक ग्राम पंचायत बेहड़ जसवां में किया गया l लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट

किया गया है1

आय:- 3/15, 2/16 व 2/17

व्यय:- 3/15, 1/16 व 3/17

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी **द्वारा** उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है1।उक्त पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उतरदायी नहीं होगा1।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत बेहड़ जसवां, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 1-04-2014 से 31-03-2017 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 आँका गया है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या-264 दिनांक 22-11-2017 **द्वारा** सचिव ग्राम पंचायत बेहड़ जसवां से अनुरोध किया गया1 जिसकी अनुपालना में सचिव ग्राम पंचायत बेहड़ जसवां **द्वारा** उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को के० सी० सी० बी० अम्ब के बैंक ड्राफ्ट संख्या 314222 दिनांक 27-11-2017 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 हिमाचल प्रदेश को प्रेषित कर दिया गया ।

4 वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत बेहड़ जसवां **द्वारा** प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1-04-2014 से 31-03-2017 के लेखाओं की संकलित वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी1 जिसका विवरण परिशिष्ट -क पर भी दिया गया है1।

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	980328	1627294	2607622	2117593	490029
2015-16	490029	2259561	2749590	1778717	970873
2016-17	970873	5036580	6007453	3539401	2468052

(i) स्वयं स्त्रोत:-

ग्राम पंचायत बेहड़ जसवां **द्वारा** परिशिष्ट - क पर अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना के अनुसार अवधि 1-04-2014 से 31-03-2017 तक स्वयं स्त्रोतों की वितीय स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :-

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	18954	70024	88978	33763	55215
2015-16	55215	70738	125953	19660	106293
2016-17	106293	110305	216598	41101	175497

(ii) अनुदान:-

ग्राम पंचायत बेहड़ जसवां के अवधि 1-04-2014 से 31-03-2017 के अनुदानों की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट -क पर भी दिया गया है1।

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	961374	1557270	2518644	2083830	434814
2015-16	434814	2188823	2623637	1759057	864580
2016-17	864580	4926275	5790855	3498300	2292555

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31-03-2017 को रोकड़ बहियों व बैंक खाते के अनुसार अन्तिम शेष का विवरण निम्नानुसार है1।

अन्त शेष का विवरण:-

क्रम सं०	निधि का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	बैंक खाते के अनुसार अंतिम शेष
1	स्वंय स्त्रोत व अनुदान	के० सी० सी० बी० अम्ब	20009003220	683546
		एच० डी० एफ० सी० अम्ब	50100137499927	1600042
			हस्तगत रोकड़	843
			योग	2284431
2	वाटर शैड हरियाली-II	के० सी० सी० बी० अम्ब	20009004042	0
3	आई ए वाई/ आर ए वाई	के० सी० सी० बी० अम्ब	20009003683	19761
4	मनरेगा	यूको बैंक ठळल	15060100003883	0
			कुल योग	2304192

दिनांक 31-03-2107 को स्वंय स्त्रोत व अनुदान रोकड़ बही का अन्त शेष = 2468052
दिनांक 31-03-2107 को बैंक खातों व हस्तगत राशि के अनुसार अन्त शेष = 23404192
अन्तर = 163860

4.1 रोकड़ बही का बैंक खाते से मिलान न करने के परिणामस्वरूप दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹1.64 लाख का भारी अन्तर:-

रोकड़ बही के अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खाते से मिलान करना अनिवार्य था1 परन्तु पंचायत **द्वारा** रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान नहीं किया जा रहा है जिसके कारण दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹163860 का भारी अन्तर है जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा 4 में दिया गया है इसका अतिशीघ्र मिलान किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए तथा भविष्य में भी रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए1

4.2 रोकड़ बहियों के दैनिक व मासिक शेष न निकालना:-

लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही प्रतिदिन हुए लेनदेन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते हुए अन्त शेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त एवं वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है1 यद्यपि रोकड़ बहियाँ पंचायत प्रधान **द्वारा**

हस्ताक्षरित तो की गई हैं परन्तु न तो इनमें अन्त शेष निकाले गए हैं और न ही नियमानुसार उनका सत्यापन हुआ है1 रोकड़ बहियों के अन्त शेष न निकलने तथा बैंक खातों के साथ मिलान न किए जाने के कारण यह सम्पूर्ण तथा सही स्थिति प्रस्तुत नहीं करता है1 अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए1

5 **पंचायत राजस्व ₹0.39 लाख का वसूली हेतु शेष :-**

सचिव ग्राम पंचायत बेहड़ जसवां द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार निम्न विवरणानुसार दिनांक 31-03-2017 तक पंचायत के राजस्व की **₹**39079 वसूली हेतु शेष थी1 जिसका विवरण परिशिष्ट – ग पर भी दिया गया है1

(क) गृहकर:-

2014-15	2099	12500	14599	4020	10579
2015-16	10579	13000	23579	-	23579
2016-17	23579	13000	36579	-	36579

(ख) मोबाईल टावर:-

वर्ष	अथ शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	-	2500	2500	2500	-
2015-16	-	2500	2500	2500	-
2016-17	-	2500	2500	-	2500

अतः उपरोक्त उल्लेखित पंचायत राजस्व **₹**39079 की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए1

(ग) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृह कर की मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था 1 लेकिन पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत के गृह कर का मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया1 अतः गृह कर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में रजिस्टर नियमानुसार तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए1

6 **अनुदान ₹22.93 लाख का उपयोग न करना :-**

पंचायत **द्वारा** अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना परिशिष्ट–क के अनुसार दिनांक 31-03-2017 तक अनुदान **₹**2292555 उपयोग हेतु शेष थी1 ग्राम पंचायत **द्वारा** विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत **द्वारा** अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा1 ।अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए1।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किया बिना ₹7.97 लाख की निर्माण सामग्री व अन्य मदों का क्रय:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5) **द्वारा** स्टोक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं1 व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया की परिशिष्ट –ग में दिये गए विवरणानुसार पंचायत **द्वारा ₹**796556 की निर्माण सामग्री व अन्य मदों का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है 1। अतः निर्माण सामग्री का क्रय नियमानुसार न होने के

कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए l

8 क्रय सामग्री ₹7.34 लाख की स्टॉक प्रविष्टियां न करना:-

जाँच के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट –घ पर दिए गये विवरणानुसार **₹**733982 का विभिन्न मदों का क्रय किया गया था, लेकिन उक्त क्रय की गई मदों की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व खपत/ जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं हैl स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व खपत/ जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न होने के कारण क्रय की गई मदों के किसी भी दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता हैl । अतः वांछित अभिलेख तैयार करने उपरांत सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाएl।

9 बिना उचित बिलों के ₹0.53 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय:-

जाँच के दौरान पाया गया कि स्वंय स्त्रोत व अनुदान निधि से परिशिष्ट–"च" पर दिए गए विवरणानुसार **₹**53041 की निर्माण सामग्री का क्रय किया गया, लेकिन उक्त निर्माण सामग्री को क्रय करने हेतु उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बना कर भुगतान किया गया हैl । अतः उक्त निर्माण सामग्री को क्रय करने हेतु उचित बिल प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व **₹**53041 की क्रय की गई निर्माण सामग्री से सम्बन्धित आपूर्तिदाताओं से उचित बिल प्राप्त करके सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए l।

10 **मनरेगा के अंतर्गत ₹3.07 लाख के भुगतान से सम्बंधित हंस्तान्त्रण आदेश (FTO) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-**

जाँच के दौरान पाया गया कि मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत बेहड़ जसवां द्वारा परिशिष्ट–छ पर दिए गए विवरण अनुसार करवाए गए विभिन्न विकास कार्यों में मस्टररोल के अंतर्गत भुगतान की गई मजदूरी **₹306912** के फण्ड हंस्तान्त्रण आदेश (FTO) अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके फलस्वरूप यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि जितनी मजदूरी मस्टररोल के अंतर्गत भुगतान की गई दर्शाई है ।वास्तव में उतनी ही मजदूरी सम्बन्धित व्यक्तियों के बैंक खातों में भी हस्तांतरित हो गई हैl अतः उक्त मस्टररोल के अंतर्गत भुगतान की गई मजदूरी ₹306912 के फण्ड हंस्तान्त्रण आदेश (FTO) आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएंl।

ii) परिशिष्ट–छ पर दर्शाए गए विवरण अनुसार क्रम संख्या 1 से 21 पर उल्लेखित भुगतान की गई मजदूरी ₹306912 से सम्बन्धित मस्टररोलों पर माप पुस्तिका व पेज संख्या उल्लेखित नहीं है जहाँ पर प्रगति **(progress)** दर्ज हैl अतः सम्बंधित मस्टररोलों पर माप पुस्तिका व पेज संख्या दर्ज करने उपरान्त वांछित माप पुस्तिकायें सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाएl।

11 टी० डी० एस० की कटौती न करना:-

आयकर की धारा 194 (सी) में विहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी वितीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति संविदाकार अथवा फर्म को किये गए ₹3000 से अधिक के किसी भी एकल भुगतान अथवा ₹75000 से अधिक सकल भुगतान पर 2% की दर से व एकल व्यक्ति की अवस्था में 1% की दर से टी०डी०एस० की कटौती की जानी अपेक्षित है, लेकिन ग्राम पंचायत **द्वारा** अपेक्षित वसूली नहीं की जा रही है जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें तथा भविष्य में नियमानुसार टीडीएस की कटौती की जानी सुनिश्चित की जाए ।

12 मजदूरी के रूप में **₹900 का अधिक भुगतान:-**

वाऊचर संख्या- शुन्य माह 3/15 के दौरान स्वंय स्त्रोत व अनुदान निधि से मस्टररोल संख्या 16999 निर्माण रास्ता कैप्टन हरदयाल सिंह अवादी राजपूता वार्ड नंबर -1 के अंतर्गत

श्रीमती अनार कली पुत्री श्री शशि राम मजदूर को 8 कार्य दिवसों की जगह 13 कार्य दिवसों के आधार पर ₹180 प्रति दिन की दर से भुगतान करने के कारण 5 अधिक कार्य दिवसों के रूप में ₹900 (5x180) का अधिक भुगतान किया गया है1 । अतः उक्त अधिक भुगतान की वसूली सम्बंधित मजदूर अथवा अधिक भुगतान करने हेतु उतरदायी अधिकारी अथवा कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए 1।

13 वाऊचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक संख्या अंकित न होना:-

हिमाचल पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनुरूप ग्राम पंचायत बेहड़ जसवां **द्वारा** लेखों का रखरखाव नहीं किया गया, जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है, जिस प्रस्ताव के अंतर्गत ग्राम पंचायत **द्वारा** व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया था1 ग्राम पंचायत बेहड़ जसवां के व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया की वाऊचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थी, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरांत ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए 1।

14 स्टोर सामग्री का क्रय व उपायन करने के प्रयोजन हेतु उप समिति का गठन न करना:-

(i) हिमाचल पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्टोर (सामान) के क्रय व उपायन के प्रयोजन से निम्नलिखित विधि से एक उप समिति गठित करेगी1।

(क) ग्राम पंचायत की दशा में प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत **द्वारा** नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले दो वार्ड सदस्य व ग्राम पंचायत का सचिव1

अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत बेहड़ जसवां **द्वारा** स्टोर (सामान) का क्रय करने व उपायन हेतु उप समिति का गठन नहीं किया गया था1 जो कि पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) की अवहेलना है 1 अतः स्टोर (सामग्री) उपायन समिति के गठन के बिना क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अंकेक्षण अवधि के दौरान उप समिति के गठन के बिना अनियमित रूप से क्रय की गई स्टोर (सामग्री) को सक्षम अधिकारी से कर्योतर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए1।

(ii) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समीति का गठन न करना :-

हिमाचल पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उप नियम 93 के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अनिवार्य है, ताकि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता स्थापित की जा सके1 सहभागी समिति निम्नलिखि सदस्य शामिल कर गठित की जानी अपेक्षित थी1

(i) सम्बन्ध ग्राम पंचायत का प्रधान/उप प्रधान

(ii) सम्बन्ध वार्ड का ग्राम पंचायत सदस्य

(iii) महिला मंडल से एक सदस्य

(iv) सम्बन्ध क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थान से एक सदस्य

अंकेक्षण अवधि के अंतर्गत ग्राम पंचायत बेहड़ जसवां **द्वारा** निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया था व सभी कार्य सहभागी समिति के बिना स्वंय करवाए गए हैं, जो कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के अध्याय – ण के उप नियम – 93 व पारदर्शी नियमों की अवहेलना है1 अतः निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सहभागी समिति के अनुमोदन के बिना अनियमित रूप से करवाए गए सभी कार्यो को सक्षम अधिकारी से कर्योतर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए व भविष्य में प्रत्येक निर्माण कार्य सहभागी समिति अथवा उप नियम – **93 (b)** के अनुसार पंजीकृत संस्था जैसे कि महिला मण्डल, युवक मण्डल व वाटर शैड कमेटी इत्यादि के माध्यम से करवाए जाने सुनिश्चित किए जाएं1 कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए1।

15 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना:-

हिमाचल पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 व 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपतिजनक है।। अतः नियमानुसार इन रजिस्टरों/ अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ।

कर्म संख्या	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक समाधान विवरणी		15 (1)
5	विभिन्न अनुदानों के बही खाते	7	29(1)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
10	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर		

16 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख का रख-रखाव न करना:-

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित अभिलेख रखा जाना अनिवार्य है।

(i) रोजगार रजिस्टर (B-9)

(ii) शिकायत रजिस्टर (B-11)

(iii) आवेदन पंजीकरण रजिस्टर (B-7)

(iv) जॉब कार्ड रजिस्टर (B-8)

(v) सम्पदा रजिस्टर (B-10)

ग्राम पंचायत बेहड़ जसवां द्वारा उपरोक्त अभिलेख तैयार नहीं किया गया, जो कि उक्त नियमों की अवहेलना है। अतः अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में अपेक्षित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल मात्र ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर **(Minute Book of Gram Panchayat)** में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव **द्वारा** निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार /अनुमोदित न करने के कारणों को **स्पष्ट** करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

18 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया की पंचायत **द्वारा** भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 **लघु आपति विवरणिका :-** यह अलग से तैयार नहीं की गई है1

20 **निष्कर्ष:-** लेखों के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है1

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(v) 30/2017 खण्ड–1–2014–2017 दिनांक 28.03.2018
शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. जिला पंचायत अधिकारी, ऊना जिला ऊना, हि0प्र0
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना हि0प्र0

पंजीकृत 4. सचिव, ग्राम पंचायत बेहड़ जसवां, विकास खण्ड अम्ब जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881